

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 499/गोपनीय/2020
दो-3-1/2020

जबलपुर, दिनांक 26 मई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री महेश कुमार झा	बड़वानी	इंदौर	इंदौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी :-

- (1) उक्त वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 के अंतर्गत, उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए0सी0जे0एम0/सी0जे0एम0 प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रूपये 43690-1080-49090-1230 -56470/- प्रदान नहीं किया गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 12 के अंतर्गत, उन्हें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

क्रमांक 500/गोपनीय/2020
दो-3-1/2020

जबलपुर, दिनांक 26 मई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

2
सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री संदीप कुमार जैन	सोनकच्छ	विदिशा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	श्री जैनुअल आब्दीन	गोहरगंज	बड़वानी	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री महेश कुमार झा के स्थान पर।

टिप्पणी :-

- (1) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 31/गोपनीय/2020/दो-3-1/2020, दिनांक 09-01-2020 द्वारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विदिशा के पद पर पदस्थ, डॉ. रविकांत सोलंकी को, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विदिशा की पदस्थापना हो जाने के कारण, उन्हें उनके पूर्व पद अर्थात् द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, विदिशा के पद पर पदस्थ किया जाता है।
- (2) उक्त वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 के अंतर्गत, उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए0सी0जे0एम0/सी0जे0एम0 प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रूपये 43690-1080-49090-1230 -56470/- प्रदान नहीं किया गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 12 के अंतर्गत, उन्हें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

क्रमांक **501** /गोपनीय/2020
दो-3-1/2020

जबलपुर, दिनांक **26** मई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री नदीम खान	डॉ. अम्बेडकर नगर	थांडला	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जय पाटीदार के स्थान पर।




2	श्री पुंजिया बारिया	धरमपुरी	कन्नौद	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री फिरोज अख्तर	पिपरिया	इंदौर	इंदौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	श्री राकेश सनोडिया	अनूपपुर	विदिशा	विदिशा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती	छिन्दवाड़ा	पिपरिया	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री फिरोज अख्तर के स्थान पर।
6	श्री गिरीश कुमार शर्मा (जूनियर)	आष्टा	खाचरोद	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7	श्री गौरव अग्रवाल	उज्जैन	गोहरगंज	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जैनुल आब्दीन के स्थान पर।
8	श्री पुष्पराज सिंह उइके	जावरा	सौंसर	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
9	श्री नानसिंह ताहेड़	कुक्षी	आमला	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
10	श्रीमती रूपाली उइके	जावरा	सौंसर	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सौंसर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर की हैसियत से।
11	श्री उमेश कुमार सोनी	निवास	जबलपुर	जबलपुर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
12	श्री जय पाटीदार	थांदला	जयसिंह नगर	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
13	सुश्री स्नेहा सिंह	सिवनी	भोपाल	भोपाल	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
14	श्री दीपनारायण सिंह	चुरहट	मरुगंज	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
15	श्रीमती दिव्या सिंह	चुरहट	मरुगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
16	श्रीमती अर्पणा राजेश शर्मा	बालाघाट	सिवनी	सिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से सुश्री स्नेहा सिंह के स्थान पर।



टिप्पणी :-

- (1) रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 502 / गोपनीय / 2020
दो-3-1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 26 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5
 1. श्री महेश कुमार झा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बड़वानी
 2. श्री संदीप कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सोनकच्छ जिला देवास
 3. श्री जैनुअल आब्दीन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गोहरगंज जिला रायसेन
 4. श्री नदीम खान, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
 5. श्री पुंजिया बारिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, धरमपुरी जिला धार
 6. श्री फिरोज अख्तर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पिपरिया जिला होशंगाबाद
 7. श्री राकेश सनोडिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर
 8. श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा
 9. श्री गिरीश कुमार शर्मा (जूनियर), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, आष्टा जिला सीहोर
 10. श्री गौरव अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन
 11. श्री पुष्पराज सिंह उइके, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा जिला रतलाम
 12. श्री नानसिंह ताहेड़, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कुशी जिला धार
 13. श्रीमती रूपाली उइके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा जिला रतलाम
 14. श्री उमेश कुमार सोनी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, निवास जिला मण्डला
 15. श्री जय पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, थांदला जिला झाबुआ
 16. सुश्री स्नेहा सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी

17. श्री दीप नारायण सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चुरहट जिला सीधी
18. श्रीमती दिव्या सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चुरहट के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, चुरहट जिला सीधी
19. श्री अपर्णा राजेश शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 22-06-2020 को अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें। यदि लॉकडाउन की वजह से अथवा अन्य कारण से उक्त दिनांक को कार्यभार ग्रहण करने में कोई कठिनाई हो तो, संबंधित अधिकारी पदभार ग्रहण करने के दिनांक में वृद्धि हेतु आवेदन पत्र इस रजिस्ट्री को प्रेषित कर सकते हैं।

20. डॉ. रविकांत सोलंकी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विदिशा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।

- 6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास/विदिशा/रायसेन/बड़वानी/ग्वालियर/इंदौर/धार/सिंगरौली/होशंगाबाद/अनूपपुर/छिन्दवाड़ा/सीहोर/जबलपुर/उज्जैन/रतलाम/मण्डला/झाबुआ/सिवनी/सीधी/बालाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 22.06.2020 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

- 7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल/शहडोल/भोपाल/रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ अग्रेषित।

- 9 सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-

- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- 10 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- 11 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 16 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


* (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
३५